

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्थान वाद 1828/2017 (2017/01402)

1. रामगोपाल पुत्र बालू जाति ब्राह्मण निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—वादी

वनाम

1. नाथी देवी पत्नी भगवानदास जाति ब्राह्मण।
2. महेश कुमार पुत्र भगवानदास जाति ब्राह्मण।
3. सीता पुत्री भगवानदास जाति ब्राह्मण।
4. कान्ता पुत्री भगवानदास जाति ब्राह्मण।
5. रतनलाल पुत्र बालू जाति ब्राह्मण।

समस्त निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. मुकेश गढवाल-वकील वादी।
2. हारून रशीद-वकील प्रतिवादी।

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम व धारा 128 राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

—:: निर्णय ::—

दिनांक 16.06.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया कि आराजी करवा केकडी तहसील केकडी की जमाबन्दी स. स्थायी 2069-72 के खाता संख्या नया 1225 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 5160, 6081, 6099, 6100 कुल किता 4 कुल रकवा 2.16 हैक्टर का निर्णय दिनांक 30.10.2018 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकवा	किस्म
1.	रामगोपाल पुत्र बालू हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार(लाल)	5160/1	0.2267	बारानी 1
		6099/1	0.2233	बारानी 1
		6100/1	0.1633	बारानी 1
		6081/1	0.1067	बारानी 1
		योग	4	0.7200
2.	रतन लाल पुत्र बालू हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार (नीला)	5160/2	0.2266	बारानी 1
		6099/2	0.2234	बारानी 1
		6100/2	0.1633	बारानी 1
		6081/2	0.1067	बारानी 1
		योग	4	0.7200
3	नाथी देवी पत्नी भगवानदास, महेश कुमार, कान्ता देवी, सीता देवी पिता भगवानदास हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार (हरा)	5160/3	0.2267	बारानी 1
		6099/3	0.2233	बारानी 1
		6100/3	0.1634	बारानी 1
		6081/3	0.1066	बारानी 1
		योग	4	0.7200

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में वादी का हिस्सा लाल रंग से दर्शित किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा नीला रंग से दर्शित किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा हरा रंग से दर्शित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि सहखातेदार मौके पर उपस्थित रहे। उनके हस्ताक्षर करवाये गये। वकील पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनों को दोहराया। प्रतिवादी के अभिभाषक ने रिकार्ड के अनुसार बंटवारा किये जाने में सहमति जाहिर की है।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षाकारन की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खरासा नंबर	रकबा	किस्म
1.	रामगोपाल पुत्र बालू हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण सा.देह खातेदार(लाल)	5160/1	0.2267	बारानी 1
		6099/1	0.2233	बारानी 1
		6100/1	0.1633	बारानी 1
		6081/1	0.1067	बारानी 1
		योग	4	0.7200
2.	रतन लाल पुत्र बालू हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण सा.देह खातेदार (नीला)	5160/2	0.2266	बारानी 1
		6099/2	0.2234	बारानी 1
		6100/2	0.1633	बारानी 1
		6081/2	0.1067	बारानी 1
		योग	4	0.7200
3	नाथी देवी पत्नी भगवानदास, महेश कुमार, कान्ता देवी, सीता देवी पिता भगवानदास हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण सा.देह खातेदार (हरा)	5160/3	0.2267	बारानी 1
		6099/3	0.2233	बारानी 1
		6100/3	0.1634	बारानी 1
		6081/3	0.1066	बारानी 1
		योग	4	0.7200

तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकी जारी हो। खर्चा फरिफेन अपना-अपना वहन करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचालय)
 उपस्थित अधिकारी
 केकड़ी (अजमेर)